



राजस्थान-सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक:-नि.स.शि/खेलप्रकोष्ठ/प.401/2016-17/30831-31040

दिनांक 19/7/2018

कार्यालय आदेश

सत्र 2018-19 की संभागीय/राज्य स्तरीय उच्च प्राथमिक एवं प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय (14 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयीय छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें।

विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु निम्न प्रकार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

क्र०स०	प्रतियोगिता	प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय (माध्यमिक शिक्षा)	उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक शिक्षा)	वर्ग
1	बॉलीबाल	19 वर्ष	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
2	कबड्डी	19 वर्ष	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
3	खो-खो	19 वर्ष	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
4	बैडमिण्टन	19 वर्ष	14 वर्ष	छात्र-छात्रा
5	फुटबाल	19 वर्ष	14 वर्ष	छात्र
6	कुश्ती	19 वर्ष	14 वर्ष	छात्र
7	एथलेटिक्स एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ	19 वर्ष	14 वर्ष	छात्र-छात्रा

नोट:-निर्धारित स्पर्धा एवं इन स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रतियोगितायें निम्न तिथियों के अनुसार आयोजित की जावें:-

क्र. सं.	स्तर	खेल	विद्यालय स्तर	संभाग स्तर	विभागीय राज्य स्तर	माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तर
1.	2	3	4	5	6	7
1.	प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय स्तर (छात्र वर्ग 19 वर्ष)	मेजर गेम्स-6 एथलेटिक्स एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां	17 अगस्त 2018 से पूर्व	19 से 23 अगस्त 2018	29 अगस्त से 02 सितम्बर 2018	13 से 18 सितम्बर 2018 बॉलीबाल, बैडमिण्टन, कबड्डी, खो-खो कुश्ती 22 से 27 सितम्बर 2018 फुटबाल 20 से 25 अक्टूबर 2018 एथलेटिक्स
2.	उच्च-प्राथमिक (छात्र वर्ग 14 वर्ष)	मेजर गेम्स-6 एथलेटिक्स एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां	31 अगस्त 2018 से पूर्व	07 से 11 सितम्बर 2018	03 से 07 अक्टूबर 2018	
3.	उच्च-प्राथमिक एवं प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय स्तर (14 एवं 19 वर्ष छात्रा वर्ग)	मेजर गेम्स-4 एथलेटिक्स एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां	31 अगस्त 2018 से पूर्व	25 से 29 सितम्बर 2018	12 से 16 नवम्बर 2018	

नोट:-

- दिनांक 29 अगस्त 2018 को ध्यानचन्द जयन्ती को खेल दिवस के रूप में आयोजित करते हुए विद्यालय स्तर पर विविध खेलों के आयोजन किये जावें।
- सत्र 2018-19 की विभागीय राज्य-स्तरीय/माध्यमिक-शिक्षा-दिवस-प्रतियोगिता 19 वर्ष एवं 14 वर्ष आयु वर्ग विद्यालयीय छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजक विद्यालयों के नाम व स्थान का आदेश पृथक से जारी किया जावेगा। सत्र 2018-19 की खेलकूद प्रतियोगिताओं की सफल-आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-
- समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2018-19 के विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताएं खेलकूद-प्रतियोगिता नियमावली एवं निर्देशिका 2009 के निर्देशानुसार आयोजित करायी जावें एवं निर्धारित तिथियों में ही संभागीय-खेलकूद-प्रतियोगिताओं का आयोजन करवावें तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें निर्धारित एवं स्थानों पर ही आयोजित की जावेगी।

2. सत्र 2018-19 में सभी स्तर एवं वर्ग की प्रतियोगिताओं में संभागित्व के लिये खिलाड़ियों की जन्मतिथि निम्नानुसार होगी:-
 (अ) 19 वर्ष आयु वर्ग छात्र-छात्रा के लिये 01.01.2000 या उसके पश्चात् एवं कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययनरत।
 (ब) 14 वर्ष आयु वर्ग छात्र-छात्रा के लिये 01.01.2005 या उसके पश्चात् एवं कक्षा प्राथमिक से 8 तक नियमित अध्ययनरत।
3. पूर्व की भांति राज्य के संस्कृत उच्च प्राथमिक एवं प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही प्रतियोगिता हेतु पात्र होंगे।
4. विभागीय सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ियों की पात्रता प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी।
5. सभी स्तरों पर संभागी खिलाड़ियों की संख्या सत्र 2018-19 से निम्न प्रकार रहेगी:-

खेल का नाम	प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय स्तर (19 वर्ष छात्र-छात्रा)		उच्च प्राथमिक स्तर (14 वर्ष छात्र-छात्रा)	
	संभाग स्तर	राज्य स्तर	संभाग स्तर	राज्य स्तर
बॉलीबाल	12	12	12	12
कबड्डी	12	12	12	12
खो-खो	12	12	12	12
बैडमिन्टन	05	05	05	05
फुटबाल	18	18	16	16
कुश्ती	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1	वजनवार पहलवान-1
एथलेटिक्स	प्रत्येक इवेंट्स में दो	प्रत्येक इवेंट्स में दो	प्रत्येक इवेंट्स में दो	प्रत्येक इवेंट्स में दो

नोट:- एथलेटिक्स में प्रत्येक जिले में खिलाड़ियों की संख्या चार होगी तथा प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्रवर्ग में श्रेष्ठ-समय निकालने वाले प्रत्येक जिले के चार खिलाड़ियों को ही अगले स्तर की प्रतियोगिता में चयन कर भिजवाया जावे, न कि विजेता दल के चार खिलाड़ियों को।

6. एथलेटिक्स में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी ही अगले स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एथलेटिक्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले खिलाड़ियों को ही भाग लेने हेतु भिजवाया जावे।
7. एथलेटिक्स में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड को पूरा करने वाले खिलाड़ी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षक का होगा। राज्य स्तर पर मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जावे। इस आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी/प्रशिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

8. एथलेटिक्स एवं कुश्ती में राष्ट्रीय-स्तर पर आयोजित स्पर्धाओं के अनुसार ही संभागीय एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं की स्पर्धाएँ करवायी जावें। इस हेतु निर्धारित स्पर्धा एवं स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
 9. खिलाड़ी, शारीरिक-शिक्षक एवं संस्था-प्रधान, पात्रता (योग्यता) प्रमाण-पत्र का भली-भांति मिलान करें। शारीरिक-शिक्षक एवं संस्था-प्रधान छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, व प्रवेशांक रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात् ही छात्र-छात्रा के योग्यता प्रमाण-पत्र को प्रमाणित करें। खेल में विजेता/उप विजेता का प्रमाण-पत्र संस्था-प्रधान द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर ही तैयार किये जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण पत्रों में दर्शायी गयी जन्मतिथि, नाम आदि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।
 10. विद्यालय/संभागों की टीमों के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षक/प्रशिक्षक को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो संबंधित शारीरिक शिक्षक निर्णायक के रूप में कार्य करेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।
 11. एथलेटिक्स में पूर्व की भांति थोज एवं जम्पस में खिलाड़ी को तीन-तीन अवसर दिये जायेंगे।
 12. प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर छात्र वर्ग (19 वर्ष) की संभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का चयनित दल ही राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेगा।
 13. उच्च प्राथमिक छात्र-छात्रा एवं प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्रा-वर्ग की संभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का विजेता दल ही राज्य स्तरीय खेलकूद-प्रतियोगिता में भाग लेगा।
 14. खेलकूद प्रतियोगिताओं में सभी संस्था दलों का भाग लेना अनिवार्य है। अतः सभी संस्था-प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी अपनी संस्था के दल अनिवार्य रूप से प्रतियोगिताओं में सम्मिलित करावें।
 15. प्रतियोगिता शुल्क:- प्रतियोगिता शुल्क गत सत्रों के अनुसार सभी विद्यालयों से निम्न-दरों के अनुसार वसूला जावे:-

सामान्य वर्ग	- 05/-प्रति छात्र-छात्रा
आरक्षित वर्ग	- 02/-प्रति छात्र-छात्रा
(अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग)	
- (अ) विगत वर्षों की भांति प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्र-वर्ग (19 वर्ष) का प्रतियोगिता शुल्क संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त जिले के नॉडल अधिकारी को जमा कराया जावे। तथा विभागीय जिले के नॉडल अधिकारी जिले के सभी विद्यालयों से कक्षा 9 से 12 तक के कुल छात्र संख्या अनुसार सामान्य वर्ग से 5/-रूपये एवं आरक्षित वर्ग से 2/- रूपये प्रति छात्र की दर से एकत्रित राशि की 50 प्रतिशत राशि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) नॉडल-अधिकारी को प्रतियोगिता सत्र की 10 अगस्त तक जमा करवा कर रसीद प्राप्त करेंगे तथा समस्त संस्था प्रधान प्रतियोगिता शुल्क प्रतियोगिता सत्र 5 अगस्त तक संबंधित नॉडल अधिकारी, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को जमा करायेंगे।

- (ब) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्रा वर्ग (19 वर्ष) का प्रतियोगिता शुल्क संबंधित संभागीय संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी कार्यालय में जमा करवाया जावे। प्रतियोगिता शुल्क दर 5/- सामान्य वर्ग प्रति छात्रा एवं 2/-आरक्षित वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रति छात्रा की दर से जमा कराया जावे।
- (स) सत्र की 31 जुलाई तक छात्र-छात्रा के प्रवेश का आधार मानकर प्रतियोगिता शुल्क संबंधित संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी नॉडल-अधिकारी को जमा कराया जावे।
- (द) संबंधित जिले के नॉडल-अधिकारी, माध्यमिक-शिक्षा के नॉडल-अधिकारी को 50 प्रतिशत प्रतियोगिता शुल्क जमा कराने के पश्चाम शेष 50 प्रतिशत शुल्क राशि संबंधित संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी कार्यालय में जमा करायी जावे।
- (य) सभी संस्थाओं द्वारा प्रतियोगिता शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कराया जावे। चाहे संस्था का दल प्रतियोगिता में भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है।
- (र) अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू होने के कारण कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्रा का प्रतियोगिता-शुल्क आगामी आदेश तक नहीं वसूला जावे।
16. विभागीय प्रतियोगिता हेतु प्रतियोगिता शुल्क का विभाजन निम्नलिखित अनुसार किया जावे:-
- (अ) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्र वर्ग(19 वर्ष):- संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्त जिला नॉडल अधिकारी जिले की समस्त संस्थाओं से कुल प्राप्त प्रतियोगिता शुल्क का 50 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा के जिला नॉडल अधिकारी को जमा करायेगें तथा कुल प्राप्त शुल्क का 50 प्रतिशत शेष संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में करायेगें। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कुल फीस का 30 प्रतिशत राशि संभागीय प्रतियोगिता केन्द्र को भिजवायेगें तथा कुल फीस का 20 प्रतिशत राशि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता केन्द्र को भिजवायेगें। (उदाहरणत:-कुल संभागीय प्रतियोगिता केन्द्र हेतु तथा 20/-राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता केन्द्र को भिजवायेगें)।
- (ब) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्रा वर्ग (19 वर्ष):-समस्त संस्था प्रधान प्रतियोगिता शुल्क विभागीय नियमानुसार प्रति छात्रा की दर के हिसाब से संबंधित संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी कार्यालय में जमा करायेगें। संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी प्राप्त कुल शुल्क का 60 प्रतिशत संभागीय प्रतियोगिता हेतु जिसमें 30 प्रतिशत छात्र-प्रतियोगिता केन्द्र को तथा 30 प्रतिशत छात्रा प्रतियोगिता केन्द्र को भिजवायेगें। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु राज्य स्तरीय केन्द्र को भिजवायेगें। प्रत्येक संभाग द्वारा उक्त 40 प्रतिशत राशि में से 20-20 प्रतिशत राशि छात्र एवं छात्रा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता केन्द्रों की भिजवायी जायेगी।
17. प्रत्येक संस्था प्रधान कक्षा 9 से 12 तक पृथक्-पृथक् विद्यार्थियों का कक्षावार एवं वर्गवार विवरण अनिवार्य रूप से शुल्क के साथ 2-2 प्रतियों में संबंधित संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी जिला नॉडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगें तथा प्रतियोगिता हेतु प्रवेश स्वीकृति प्राप्त करेगें।
18. योग्यता प्रपत्र:- प्रत्येक खिलाड़ी का योग्यता प्रपत्र दो प्रतियों में भरवाया जावे तथा दोनों प्रतियों पर खिलाड़ी का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जावे।

खिलाड़ी का फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। योग्यता प्रपत्र के सभी कालम स्पष्ट रूप से भरे जावें। भरे हुये कालमों में न तो कॉट-छॉट की जावे और न ही ओवरराइटिंग की जावे। कॉट-छॉट व ओवर राइटिंग प्रपत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

19. माध्यमिक-शिक्षा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दलों के खिलाड़ियों को पृथक से खेलवार तीन-तीन प्रतियों में योग्यता प्रपत्र सम्पूर्ण पूर्ति कर राज्य स्तरीय पूर्व प्रशिक्षण कैम्प के शिविराधिपति को जमा कराया जावे। प्रपत्रों के साथ 8 वीं बोर्ड या माध्यमिक-शिक्षा-बोर्ड की अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न की जावे जिसमें खिलाड़ी की जन्मतिथि का अंकन किया गया हो।
 20. सभी वर्ग एवं स्तर पर संस्था को दो मेजर गेम्स (मुख्य खेल) में भाग लेने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है एवं समस्त एथलेटिक्स व साहित्यिक प्रवृत्तियों में संस्था को भाग लेने की छूट होगी।
 21. संस्था पर खेल प्रतिबन्ध के साथ ही प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्र वर्ग (19 वर्ष) के खिलाड़ियों पर भी खेल प्रतिबन्ध रहेगा। क्योंकि उक्त चयनित खिलाड़ी माध्यमिक-शिक्षा की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अतः संस्था का एक खिलाड़ी एक मेजर गेम (मुख्य खेल) में भाग ले सकेगा तथा इसके साथ तीन एथलेटिक्स व एक फिल्ड इवेन्टस या दो फिल्ड इवेन्टस व एक ट्रेक इवेन्ट होंगे जिसमें रिले दौड़ सम्मिलित नहीं है।
 22. उच्च प्राथमिक छात्र-छात्रा एवं प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्रा वर्ग में संस्था का एक खिलाड़ी दो मेजर गेम (मुख्य खेल) एवं एक एथलेटिक्स इवेन्ट कुल तीन खेलों में भाग ले सकेगा या दो एथलेटिक्स इवेन्ट तथा एक मेजर गेम में कुल तीन खेलों में भाग ले सकेगा। यदि कोई खिलाड़ी मेजर गेम में भाग नहीं लेता है तो तीन एथलेटिक्स इवेन्टस में भाग ले सकेगा। जिसमें दो ट्रेक इवेन्टस व एक फिल्ड इवेन्ट होगा या दो फिल्ड इवेन्टस व एक ट्रेक इवेन्ट होगा। रिले दौड़ इसमें सम्मिलित नहीं है।
 23. साहित्यिक-प्रवृत्तियों में किसी स्तर एवं वर्ग में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् एक प्रतियोगी सभी साहित्यिक-प्रवृत्तियों में भाग ले सकेगा। केवल वाद-विवाद प्रतियोगिता में एक विषय के पक्ष में भाग लेने वाला प्रतियोगी उसी विषय के विपक्ष में भाग नहीं ले सकेगा।
- साहित्यिक प्रतियोगितायें निम्नलिखितानुसार आयोजित होगी:-

19 वर्ष छात्र-छात्रा	14 वर्ष छात्र-छात्रा
अन्त्याक्षरी (हिन्दी, संस्कृत)	अन्त्याक्षरी (हिन्दी, संस्कृत)
वाद-विवाद (हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी)	वाद-विवाद (हिन्दी, संस्कृत) पक्ष-विपक्ष
पक्ष-विपक्ष	

24. समस्त संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी संभागीय स्तरीय समस्त आयु वर्ग खेल प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताओं से पूर्व निम्न प्रारूप में निदेशालय संस्कृत शिक्षा को निश्चित रूप से भिजवायेंगे:-

क्र.स.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम दो स्थानों के परिणाम संख्या के नाम सहित	सभागी टीमों की संख्या	कुल खिलाड़ियों की संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

25. संभागीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को विजेता/उपविजेता का प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर ही अनिवार्यतः वितरित किया जावे। किसी भी स्तर एवं वर्ग की प्रतियोगिताओं में विभागीय स्तर पर भाग लेने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जावे। प्रमाण पत्र खिलाड़ियों के योग्यता प्रपत्र के फोटो से मिलान करने पश्चात् खिलाड़ी के प्रतिपत्र पर हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे। प्रमाण पत्र पर कमांक मुद्रण करवाना अनिवार्य है। तथा प्रमाण पत्र का प्रतिपत्र अनिवार्य रूप से मुद्रण करवाया जावे एवं अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में सम्बन्धित प्रतियोगिता केन्द्राध्यक्ष विभागीय प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्रों का मुद्रण करावें।
26. प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय (19 वर्ष) विद्यालयीय प्रतियोगिताओं में वे सभी छात्र छात्रा भाग लेंगे जो कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययनरत हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक छात्र-छात्रा स्तर पर कक्षा प्राथमिक से 8 तक के नियमित अध्ययनरत छात्र-छात्रा भी भाग ले सकेंगे जो प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में चलने वाली कक्षा 6 से 8 में नियमित अध्ययनरत हैं।
27. छात्रा दल के साथ महिला प्रभारी को ही भिजवाया जावे। अपरिहार्य कारणों से महिला प्रभारी शिक्षक के स्थान पर पुरुष प्रभारी लगाया जाता है तो प्रतियोगिता आयोजक पुरुष प्रभारी की आवास व्यवस्था छात्राओं से पृथक् की जावे। यह ध्यान रखा जावे कि छात्रा टीम के साथ जहां तक हो सके महिला प्रभारी ही अनिवार्य रूप से भिजवाया जावे।
28. संभागीय-स्तरीय-प्रतियोगिता स्थलों पर निर्णायक/चयन समिति निर्धारित संख्या अनुसार ही शारीरिक शिक्षकों को लगाया जावे। प्रतिनियुक्ति आदेश संबंधित संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा ही जारी किया जावे। संभागीय कार्यालयों में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश पृथक् से प्रसारित नहीं किये जावें।
29. प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर छात्र (19 वर्ष) की प्रतियोगिताओं में चयन समिति द्वारा जो सूची बनायी जाती है वह प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावें।
30. सभी खेलों में संबंधित खेल फेडरेशन के नवीनतम नियम मान्य होंगे परन्तु आयोजन की दृष्टि से टाई ब्रेक, समय, सैट आदि के संबंध विभागीय नियम मान्य होंगे।

31. सत्र 2018-19 की छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संस्कृत शिक्षा विभागीय नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009 व उसके पश्चात् समय समय पर नियमों में हुये संशोधन एवं प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप ही किया जावे। खेलों के नियम संबंधी खेलों के संघों के जो वर्तमान संशोधन रूप में लागू है के अनुरूप ही प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जावे परन्तु विभागीय आदेशों/नियमों को रखते हुये अनुपालना हो।
32. विद्यालय/संभागीय/राज्य-स्तरीय विद्यालयीय कुश्ती में जिस कैटेगरी/वजन के लिये जिसे खिलाड़ी का चयन किया गया है चयन परीक्षण भी उसी कैटेगरी/वजन के खिलाड़ियों का आयोजित कर वजनवार दल गठन किया जावे एवं उसी कैटेगरी/वजन में ही वह खिलाड़ी संभागीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेगा।
33. 19 वर्ष छात्र वर्ग में माध्यमिक शिक्षा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व विभागीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जावे।
34. 19 वर्ष/14 वर्ष की कुश्ती संभागीय प्रतियोगिताओं में विजेता स्थान प्राप्त करने वाला खिलाड़ी (पहलवान) ही राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेगा।
35. प्रतियोगिता आयोजन कार्यक्रम को निर्धारित करने (झाज डालने की कार्यवाही) प्रतियोगिता संयोजक एवं मुख्यनिर्णायक व विभागीय अधिकारी प्रतियोगिता स्थल पर निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व उपस्थित होकर सम्पन्न करायेंगे।
36. प्रतियोगिता के समय अनुशासन बनाये रखने का उत्तरदायित्व सभी दल प्रभारी/दल नायक/प्रतिनियुक्त अधिकारी व निर्णायक सहित सामूहिक रूप से केन्द्राध्यक्ष का होगा। विभागीय प्रतिनिधि एवं केन्द्राध्यक्ष मुख्य निर्णायक द्वारा प्रदत्त निर्देशों का सभी संभागी प्रतियोगी पालन करेंगे।
37. संभागीय एवं राज्य-स्तरीय-खेलकूद-प्रतियोगिताओं के आयोजक संस्था प्रधान समस्त प्रकार के अभिलेखों की एक-एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेंगे। ताकि आवश्यकताओं के अनुसार चाही गयी सूचना संस्था प्रधान विद्यालय अभिलेख से मिलान कर दे सके।
38. समस्त संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी/आयोजक, संभागीय स्तर की प्रतियोगिताओं के परिणाम अभिलेख एवं विजेता प्रतियोगियों के आवेदन पत्र पंजीयन रजिस्टर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से दो दिवस पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय में जमा करायेंगे।
39. संभागीय खेलकूद-प्रतियोगिताओं के लिये संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिये निदेशक संस्कृत शिक्षा निर्णायक प्रतिनियुक्त करेंगे। निर्णायकों में प्रतिनियुक्त केवल शारीरिक शिक्षकों की ही की जावे इसके साथ ही संभागों में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के रिकार्ड संधारण करने वाले कार्मिकों को संबंधित संभागीय-संस्कृत-शिक्षा-अधिकारी ही प्रतिनियुक्त करेंगे।
40. प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर (19 वर्ष छात्र वर्ग) की प्रतियोगिताओं में 4 दलों को भाग लेना अनिवार्य है तथा उच्च प्राथमिक छात्र वर्ग (14 वर्ष) एवं उच्च प्राथमिक व प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्रा वर्ग (14 व 19 वर्ष)की प्रतियोगिताओं में कम से कम तीन दलों का भाग लेना अनिवार्य है इससे कम संख्या में दलों के भाग लेने पर उस

खेल का आयोजन उस प्रतियोगिता केन्द्र पर नहीं होगा और न ही उस खेल का दल आगे की प्रतियोगिताओं में भिजवाये जायेगा।

41. खिलाड़ी अपने प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण संस्था प्रधान से करवाकर प्राप्त करें। संस्था प्रधान का दायित्व है कि खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण का रजिस्टर में रिकार्ड संधारण किया जावे।
42. संभागीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने व उनकी खेल गणवेश में एकरूपता लाने के लिये संबंधित संस्था प्रधान/शिविराधिपति संबंधित खेल के सभी खिलाड़ियों को उपयुक्त गणवेश तैयार करवायेगा। खेल गणवेश की अधिकतम सीमा राशि 250/-रूपये (उच्च प्राथमिक छात्र/छात्रा वर्ग) एवं 300/-रूपये (प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय छात्रा-छात्रा वर्ग) प्रति खिलाड़ी होगी। इसमें से 50 प्रतिशत राशि स्वयं विद्यार्थी खिलाड़ी (प्रति खिलाड़ी) वहन करेगा तथा 50 प्रतिशत राशि संबंधित विद्यालय के छात्र कोष से प्रति खिलाड़ी व्यय की जावेगी जो कमशः 125/-एवं 150/-रूपये से अधिक नहीं होगी। प्रतियोगिता समाप्त के बाद उक्त गणवेश का विद्यालय अभिलेख में इन्द्राज किया जावे एवं संबंधित खिलाड़ी से इसकी रसीद लेकर उसे संभला दी जावे।
43. खेलकूद प्रतियोगिता के प्रमाण पत्रों में एकरूपता रहें इसलिए संभागीय/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रमाण पत्रों का मुद्रण संबंधित शिक्षा अधिकारियों के निर्देशन में केन्द्राध्यक्षों द्वारा करवाया जावे तथा खेलकूद प्रतियोगिता समय से पूर्व ही प्रमाण पत्रों का मुद्रण करवा लिया जावे। तथा इनका हिसाब निम्न प्रकार से संधारित करें:-

कुल मुद्रण कराये गये प्रमाण पत्रों की संख्या	वितरण किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या	निरस्त हुये प्रमाण पत्रों की संख्या	शेष रहे प्रमाण पत्रों की संख्या	हस्ताक्षर केन्द्राध्यक्ष
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

44. खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता:-

- (अ) प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/संभागीय/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 70/-प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी दैनिक भत्ता देय होगा।
- (ब) उच्च प्राथमिक/संभागीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 50/-प्रतिदिन प्रति दिन खिलाड़ी दैनिक भत्ता देय होगा।
- (स) उच्च प्राथमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय/संभागीय/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले स्थानीय खिलाड़ियों का अल्पाहार हेतु प्रति खिलाड़ी अधिकतम 30/-की राशि प्रतिदिन देय होगी। उक्त सभी राशि संबंधित विद्यालय द्वारा अपने खिलाड़ियों को दी जावेगी। जिस खिलाड़ी को दैनिक भत्ता देय होगा उस खिलाड़ी को अल्पाहार राशि देय नहीं होगी।

45. प्रतियोगिता केन्द्राध्यक्ष/संयोजक अपने केन्द्र पर भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का पंजीयन, पंजीयन रजिस्टर में निम्न प्रपत्रानुसार दो प्रतियों में तैयार करवायेगें। एक प्रति प्रतियोगिता केन्द्र पर रहेगी तथा दूसरी प्रति प्रतियोगिता समाप्ति पर प्रतियोगिता परिणाम रजिस्टर के साथ विभागीय-प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। विभागीय प्रतिनिधि उक्त रिकार्ड अगली प्रतियोगिताओं हेतु संबंधित संभागीय कार्यालय में जमा करायेगें जिससे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं पर निश्चित समय पर रिकार्ड उलब्ध कराया जा सके।

क्र.स.	खिलाड़ी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	प्रवेशांक	जन्मतिथि	खेल का नाम	विद्यालय का नाम	प्रमाण पत्र क्रमांक	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

46. ध्वज:-

- (अ) प्रत्येक संस्था प्रधान संभागीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अपनी टीमों के साथ अपने विद्यालयों के 3' X 2' निर्धारित नाप का ध्वज तैयार करवाया जाकर प्रतियोगिता के समय दल प्रभारी के साथ ध्वजदण्ड सहित भिजवायेगें।
- (ब) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी संभागीय दल के साथ संभाग के नाम का 3' X 2' निर्धारित नाप एवं रंग का ध्वज तैयार करवाया जाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता केन्द्र पर भिजवायेगें। इस प्रतियोगिता हेतु ध्वजदण्ड की व्यवस्था प्रतियोगिता संयोजक द्वारा की जावेगी।
- (स) संभागीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता संयोजक का मुख्य ध्वज 6' X 4' नाप का जिस पर संभागीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का नाम एवं केन्द्र के नाम का ध्वज तैयार करवायेगें।
- (द) माध्यमिक शिक्षा की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु 8 सैट ध्वजों के जिनका रंग नेवीब्ल्यू डेढ़ ईंच चौड़ा हरा बार्डर लगा हुआ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता केन्द्र संयोजक तैयार करवायेगें। ध्वज पर संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर का नाम भी अंकन करवायेगें। प्रत्येक सैट में एक छोटा जिसकी नाप 3' X 2' एवं एक बड़ा जिसकी नाप 6' X 4' होगी। माध्यमिक शिक्षा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दलों के अभिलेख एवं ध्वज आदि ले जाने का उत्तर दायित्व दल प्रबन्धक/दल प्रशिक्षक का होगा।

47. चयन समिति:-प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय स्तर छात्र वर्ग (19 वर्ष) प्रतियोगिताओं हेतु निम्न प्रकार से द्विस्तरीय चयन समिति का गठन किया जावे:-

- (अ) संभागीय चयन समिति :- संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति का गठन करेंगे:-
- 1- विभागीय मनोनीत सदस्य (विभागीय अधिकारी) - एक
 - 2- शारीरिक शिक्षक (जिसमें एक मुख्य निर्णायक एवं दो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक होगा) - तीन
 - 3- संस्था प्रधान/संयोजक, प्रतियोगिता केन्द्र - एक

(ब) राज्य स्तरीय चयन समिति:- राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा किया जावेगा जो निम्न प्रकार होगी:-

- 1- विभागीय मनोनीत सदस्य (विभागीय अधिकारी) - एक
- 2- शारीरिक शिक्षक (जिसमें एक मुख्य निर्णायक एवं दो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक होगा) - तीन
- 3- संस्था प्रधान/संयोजक, प्रतियोगिता केन्द्र - एक

48. प्रतिवाद समिति:- प्रतिवाद समिति निम्नानुसार दो स्तरीय होगी:-

(अ) संभागीय प्रतिवाद समिति:- इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (1)- संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी - अध्यक्ष
- (2)- विभागीय अधिकारी - उपाध्यक्ष
- (3)- दो खेल विशेषज्ञ (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जिसमें एक मुख्य निर्णायक) - सदस्य
- (4)- प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान - सदस्य सचिव

(ब) राज्य स्तरीय प्रतिवाद समिति:- इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (1)- संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष
- (2)- सहायक निदेशक/विभागीय अधिकारी - उपाध्यक्ष
- (3)- प्रभारी खेल प्रकोष्ठ-सदस्य
- (4)- दो खेल विशेषज्ञ (निदेशक द्वारा मनोनीत जिसमें एक मुख्य निर्णायक) - सदस्य
- (5)- प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान - सदस्य सचिव

विशेष नोट:- निदेशक संस्कृत शिक्षा चीफ ज्यूरी ऑफ अपील होंगे।

49. विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता प्रतिवाद एवं निराकरण:- प्रत्येक स्तर एवं वर्ग की प्रतियोगिताओं के लिये प्रतिवाद निराकरण समिति अथवा ज्यूरी ऑफ अपील होगी। इस समिति के सदस्यों को खेल आयोजन के दौरान प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से प्रतिवाद समिति अध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं तो प्रतिवाद समिति का वरिष्ठतम पदाधिकारी/सदस्य प्रतिवाद समिति की अध्यक्षता कर निर्णय करेंगे।

किरीसी भी प्रकार का प्रतिवाद/आपत्ति के साथ लिखित रूप में मैच समाप्त होने के 30 मिनट एवं व्यक्तिगत स्पर्धाओं की समाप्ति के 15 मिनट की अवधि में संभागीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिये 100/- तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिये 200/- प्रतिवाद शुल्क, प्रतिवाद/आपत्ति पत्र के साथ प्रतियोगिता सचिव (आयोजक संस्था प्रधान) के पास पहुंच जाना चाहिये। प्रतिवाद/आपत्ति पत्र पर संबंधित खेल के विधिवत् नियुक्त दल प्रभारी के हस्ताक्षर मान्य होंगे। खेल मैदान, उपकरणों के बारे में खेल प्रारंभ होने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आपत्ति पूर्व में परिणाम/स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

50. जनरल चैम्पीयनशिप हेतु अंको की गणना निम्नलिखितानुसार की जावे:-

- (1) मेजर गेम विजेता-5 अंक

उप विजेता-3 अंक

(2) एथलेटिक्स प्रथम विजेता-3 अंक

द्वितीय उप विजेता-1 अंक

(3) रिले.दौड़ में प्रथम, द्वितीय को क्रमशः 10-6 अंक दिये जावें।

51. 19 वर्ष छात्र वर्ग बैडमिन्टन में दलीय स्पर्धा के साथ साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन भी करवाया जावे। उक्त खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा 19 वर्ष आयुवर्ग में चयन समिति द्वारा चयनित खिलाड़ी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 19 वर्ष छात्र वर्ग में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने हेतु बैडमिन्टन की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के दो खिलाड़ी एवं सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दलों के 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे। व्यक्तिगत स्पर्धा में ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ियों का सीडिंग दी जावे। ड्राज दलीज स्पर्धा में सेमी फाइनल में दलों के पांच खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावें। उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमी फाइनल से पहले मैच न हो सके।
52. खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009 के नियम संख्या 12 वित्तीय व्यवस्था में उपनियम संख्या 12.1.9.3.2 एवं 12.1.11 के अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रतियोगिता शुल्क राशि का व्यय करने की एक स्थायी समिति का गठन किया गया था उक्त गठित स्थायी समिति के संयुक्त निर्णय से राज्य स्तरीय शुल्क राशि का व्यय जा रहा था। सत्र 2010-11 से उक्त राशि का व्यय जिस संभाग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उस संभाग की गठीत संभागीय स्थायी समिति के संयुक्त निर्णय से प्रतियोगिता शुल्क राशि का व्यय किया जावे तथा इसकी सूचना निदेशालय को भिजवायी जावे।
53. सत्र 2012-13 से प्रवेशिका वरिष्ठ/उपाध्याय छात्र वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराये जाने वाले संभाग के संभागीय शिक्षा अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा में भाग लेने वाले चयनित खिलाड़ियों के आवेदन पत्र एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अग्रिम आदेशों तक उक्त व्यवस्था की पालना की जावे तथा इसके साथ ही प्रपत्र 'क' में अंकित खिलाड़ियों की सूची की छायाप्रति निदेशालय को भिजवायी जावे।
54. प्रतियोगिता के शेष नियम एवं निर्देश विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व प्रसारित आदेशानुसार पूर्वतः रहेंगे तथा विभागीय खेल नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009 के सभी दिशा निर्देश अग्रिम आदेशों तक स्थायी रूप से प्रभावी रहेंगे।
55. विभागीय विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009 में अल्लेखित नियम-9 (9.1.1. से 9.1.9.) में खिलाड़ी पात्रता नियम, चैक लिस्ट एवं पात्रता (योग्यता) प्रमाण पत्र में सत्र 2016-17 से होने वाली संभागीय/राज्यस्तरीय विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में राजस्थान राज्य के छात्र- छात्राओं खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संभागीय खिलाड़ियों के पात्रता-नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है:-

क्र. सं.	नियमावली नियम संख्या	नियमावली पृष्ठ संख्या	संशोधन/परिवर्द्धन
1.	9.1.10	20-22	योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ प्रतियोगी खिलाड़ियों का राजस्थान के मूल निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
2.	9.1.11	20-22	राज्य के बाहर के खिलाड़ियों के द्वारा उक्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु दो वर्ष लगातार राजस्थान के विद्यालयों में अध्ययनरत रहने की (दोनों वर्षों की अंकतालिकाएं संलग्न करते हुए) बाध्यता आवश्यक है।
3.	9.1.12	20-22	किसी भी कक्षा में दो वर्ष से अनुत्तीर्ण/ठहराव वाले छात्र-छात्रा किसी भी विद्यालय खेलकूद-प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4.	9.1.13	20-22	केन्द्रीय सेवाओं में कार्यरत/निजी संस्थाओं में कार्यरत एवं निजी व्यवसायी अभिभावकों के विद्यार्थियों से संबंधित विभाग/संस्था/राजपत्रित अधिकारी से राजस्थान में कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्तानुसार समस्त संशोधन/परिवर्तन सत्र 2016-17 से प्रभावी होंगे। शेष नियम/निर्देश यथावत रहेंगे।

रामा

(डॉ. रामकुमार दाधीच)

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

30831-31040

19/7/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने अधीन संचालित समस्त संस्कृत विद्यालयों को इस आदेश से अवगत करावें।
2. रागरत प्राचार्य, अराजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, राजकीय/अराजकीय वरिष्ठ उपाध्याय/प्रवेशिक संस्कृत विद्यालय, राजस्थान जयपुर।
4. श्री शंकर सोनी, पु0अ0 निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय ई-मेल आदि पर डलवाने की व्यवस्था करें।
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सत्यनारायण शर्मा)

सहायक निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

संस्कृत शिक्षा विभागीय सत्र 2018-19 में संभागीय/राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिये आयु वर्गानुसार कुश्ती एवं एथलेटिक्स हेतु निर्धारित इवेंट्स एवं मानदण्ड

नाम इवेंट्स	19 वर्ष आयु वर्ग		14 वर्ष आयु वर्ग	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
100 मी दौड़	12.5 सैके	14 सैके	13.50 सैके	15.00 सैके
200 मी दौड़	26 सैके	30.5 सैके	29 सैके	34 सैके
400 मी दौड़	55 सैके	1 मिनट 10 सैके	1 मिनट	1 मिनट 15 सैके
600 मी दौड़	-	-	1 मिनट 40 सैके	1 मिनट 55 सैके
800 मी दौड़	2 मिनट 12 सैके	2 मिनट 32 सैके	-	-
1500 मी दौड़	4 मिनट 30 सैके	5 मिनट	-	-
5000 मी दौड़	21 मिनट	-	-	-
4 X 400 मी.रिले	52 सैके	1 मिनट 5 सैके	54 सैके	1 मिनट 50 सैके
4 X 400 मी.रिले	4 मिनट	1 मिनट 50 सैके	-	-
ऊँची कूद	1.50 मीटर	1.25 मीटर	1.40 मीटर	1.15 मीटर
लम्बी कूद	5.30 मीटर	4.25 मीटर	5 मीटर	4 मीटर
त्रिकूद	11 मीटर	8.50 मीटर	-	-
गोला फेंक	10 मीटर	7 मीटर	10 मीटर	6.75 मीटर
	7.260 कि.ग्राम	4 कि.ग्राम	4 कि.ग्राम	4 कि.ग्राम
तस्तरी फेंक	30 मीटर	16 मीटर	28 मीटर	15 मीटर
	2.000 कि.ग्राम	1 कि.ग्राम	1 कि.ग्राम	1 कि.ग्राम
भाला फेंक	32 मीटर	20 मीटर	20 मीटर	18 मीटर
	800 ग्राम	600 ग्राम	600 ग्राम	600 ग्राम

आयुवर्गानुसार कुश्ती हेतु निर्धारित वजन

कुश्ती 19 वर्ष छात्र	कुश्ती 14 वर्ष छात्र	आसन प्रतियोगिता उच्च प्राथमिक छात्र वर्ग
42 कि.ग्राम	32 कि.ग्राम	1 पदमासन
46 कि.ग्राम	35 कि.ग्राम	2 मयूरासन
50 कि.ग्राम	38 कि.ग्राम	3 वक्रासन
55 कि.ग्राम	41 कि.ग्राम	4 हलासन
60 कि.ग्राम	45 कि.ग्राम	5 शीर्षासन
66 कि.ग्राम	49 कि.ग्राम	
74 कि.ग्राम	55 कि.ग्राम	
84 कि.ग्राम	60 कि.ग्राम	
96 कि.ग्राम		
120 कि.ग्राम		

कबड्डी खिलाड़ियों का वजन मानदण्ड

आयु वर्ग	19 वर्ष छात्र	19 वर्ष छात्रा	14 वर्ष छात्र	14 वर्ष छात्रा
वजन	70 कि.ग्राम तक	65 कि.ग्राम तक	51 कि.ग्राम तक	48 कि.ग्राम तक
खेल मैदान	13 X 10 मीटर	12 X 8 मीटर	11 X 8 मीटर	11 X 8 मीटर

(डॉ. रामकुमार दाधीच)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर